

16/6/17

पजापली आज न्याय कार्यालय द्वारा -
कैम्प अन्तर्गत में पेश हुयी

-अपीलांत उपस्थित नहीं।

रिपोजीट उपस्थित नहीं।

पजापली का अपलोकांत विभा गया।
अपील के अपीलान्त द्वारा यह अपलोकांत चला
गया कि नामांकित सेलिंग का प्रोसेसिंग
30-12-16 निरस्त किया जाये।

पजापली में उपलब्ध डेटा प्रॉसेसिंग का
अद्यपय विभा लक्ष्मण सिंह
इस निष्पत्ति पर पहुंचा कि
अपीलान्त द्वारा उल्लेख अपील
स्वीकार योग्य है।

उक्त अपील अपीलान्त स्वीकार
की जाती है अपीलान्त द्वारा कच्चा
के कांटे प्रोसेसिंग 30-12-16

निरस्त किया जाता है।

लक्ष्मण-द्वारा (शजक) कोलापूर

का पजापली इस निदेश के
साथ रिवांटे की जाती है।
कि अपीलान्त का प्रकृ


उपखण्ड अधिकारी
कोलापूर जिला-बीकानेर

तारीख हु

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामील
में जारी हुए

कुवा जाकर कसूर एवं साक्ष्य उपलब्ध करने
का उपयुक्त अपार उपाय कर पुनः
विधि सम्मेलन निर्णय पारित कर
नहीं जायी है।
फावली केशव शुभार होकर
हस्त जाया दारिद्र्य उपलब्ध है।
निर्णय आज दिनांक 16/11/17 को कैंप
कोट मुख्यालय में सुनाया गया।


(जयसिंह)

उपखण्ड अधिकारी
कोलायत जिला-बीकानेर